निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़ 1945 (श0)

(सं0 पटना 592) पटना, वृहस्पतिवार, 20 जुलाई 2023

सं० 16/सी.1–29/2021/648(आ०चि०)

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

13 जुलाई 2023

विषय :–आयुष (आयुर्वेद,यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सा पद्धति में प्रतिशत अनुपात के संबंध में।

वादी डॉ0 योगेन्द्र प्रसाद मंडल एवं अन्य द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 25(दे0चि0) दिनांक 13.01.1998, बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2010 के नियम 9(ख)(III) एवं विभागीय सकारण आदेश संख्या 1006(आ0चि0) दिनांक 24.11.2021, जो आयुर्वेद, होमियोपैथ एवं यूनानी क्रमशः 50% 30% 20% के अनुपात से संबंधित है, को निरस्त करने तथा आयुर्वेद, होमियोपैथ एवं यूनानी के पदों को क्रमशः 46% 46% 8% अनुपात में करने एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियमित नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 04/2020 से 09/2020 में इसी अनुपात को लागू करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No 423/2022 दायर किया गया।

CWJC No 423/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध वादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 (सी0) सं0–4573/2022 डॉ0 योगेन्द्र प्रसाद मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

सिविल अपील संख्या 5012/2022 (एस0एल0पी0 (सी0) सं0–4573/2022 से उत्पन्न) डॉ0 योगेन्द्र प्रसाद मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.08.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"…..Since the resolution in question, was of the year 1998, without going into any submission advanced on behalf of the parties, in our view, it would be in the fitness of things that the matter is considered afresh by the concerned authorities. While doing so, all the relevant factors, namely, the number of practising Professionals in concerned disciplines, the number of students and colleges admitting students in respective discipline(s) and such other relevant factors shall be taken into account.

Mr. Manish Kumar, learned advocate appearing for the State has assured us that appropriate steps and decision in that behalf shall be taken within three months from today.

In the aforesaid circumstances, nothing further need be done in the matter. The appeal is accordingly disposed of. It is made clear that the interim relief granted earlier is vacated."

सिविल अपील सं0–5012/2022 में पारित आदेश का अनुपालन ससमय नहीं होने की स्थिति में वादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Contempt Petition(C)–620/2023 दायर किया गया जिसमें दिनांक–13.02.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है–

"….Before we proceed with the matter, let the petitioners may submit a fresh representation before the concerned authorities in reference to the order of this court dated 01.08.2022 along with a copy of this order for taking necessary steps as stated and recorded in the order of which contempt as alleged has been committed by the respondents.

List the matter after two months."

उक्त आदेश के अनुपालन में वादी डॉ0 योगेन्द्र प्रसाद मंडल द्वारा दिनांक 21.02.2023 को Representation समर्पित किया गया। Contempt Petition(C) सं0–620/2023 एवं सिविल अपील सं0–5012/2022 में दिनांक 01.08.2022 को पारित आदेश का अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 357(आ0चि0) दिनांक 12.04.2023 द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के आनुपातिक बंटवारे पर निर्णय लेने हेतु समिति गठित की गयी। आयुष प्रक्षेत्र के सभी संबंधितों से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में आयुष प्रक्षेत्र के निदेशक/ उपनिदेशक/प्राचार्य/अधीक्षक/निबंधक द्वारा अपना–अपना पक्ष उपलब्ध कराया गया।

उपर्युक्त के आलोक में वादी की माँग/माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एवं आयुष प्रक्षेत्र के निदेशक/उपनिदेशक/प्राचार्य/अधीक्षक/निबंधक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2022 में सरकारी एवं गैर सरकारी आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेज में नामांकन का प्रतिशत निम्न है :–

	आयुष चिकित्सा पद्धति	**2022 नमांकन का प्रतिशत**
सरकारी	आयुर्वेद	45%
	होमियोपैथिक	21%
	यूनानी	34%
गैर सरकारी	आयुर्वेद	45%
	होमियोपैथिक	25%
	यूनानी	29%

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त आयुर्वेद, होमियोपैथी एवं यूनानी पद्धति का प्रतिशत अनुपात क्रमशः 50%, 30% एवं 20% बनाये रखने का निर्णय लिया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अलंकृता पांडे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 592-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in